लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स गौतम फिलिंग सेंटर, प्रो0 बबीता सिनहा, पिताः श्री कृष्ण प्रसाद, ग्राम–खेमदा, पो0 एवं थाना–बारूण, जिला–औरंगाबाद द्वारा औरंगाबाद सोन नदी बालु घाट–21, मौजा–गोठौली, ब्लॉक–बारूण, जिला–औरंगाबाद अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 11.05.2023 को अपराह्न 02:40 बजे प्रखंड सभागार, बारूण जिला–औरंगाबाद के प्रागंण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/2052/2022, dated 11.01.2023 के आलोक में श्री आशीष कुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता, औरंगाबाद (जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक 11.05.2023 को अपराह्न 02:40 बजे प्रखंड सभागार, बारूण, जिला–औरंगाबाद में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (**अनुलग्नक–1**)

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान, सोन वर्षा वाणी, नवबिहार टाइम्स, हिन्दुस्तान टाइम्स एवं द टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक 06.04.2023 को प्रकाशित की गयी थी (**प्रतिलिपि संलग्न**)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, गया द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा औरंगाबाद सोन नदी बालु घाट–21, मौजा–गोठौली, ब्लॉक–बारूण, जिला–औरंगाबाद के लेसी को मंच पर आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तद्नुसार लेसी या उनके प्रतिनिधि द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उदेश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री मुन्ना कुमार शर्मा ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनी प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनी यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया/सुझाव
1.	श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, बारूण, औरंगाबाद।	बालू उठाव से ग्रामीण वासियों को क्या लाभ मिलगो। इस संबंध में पर्यावरणीय सलाहाकार द्वारा बताया गया कि यहॉ के स्थानीय लोगो को रोजगार प्रदान किया जायेगा। इसप्रकार श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी को अपना जवाब प्रस्तृत कर संतुष्ट किया।
2.	श्री विजय कुमार सिंह, बारूण, औरंगाबाद।	इनके द्वारा बालू परिवहन, पानी निकासी, ड्रनेज जाम, सड़क जाम होने से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में पर्यावरणीय सलाहाकार द्वारा बताया गया कि बालू का परिवहन तिरपाल से ढ़क कर किया जायेगा, वाहनो

		पर ओभरलोडिंग नही की जायगी, ड्रनेज एवं सड़क जाम के संबंध में अपर समाहर्ता द्वारा बताया कि वे इस संबंध में जिलाधिकारी से वार्ता करेगें। इसप्रकार श्री विजय कुमार सिंह को अपना जवाब प्रस्तृत कर संतुष्ट किया।
3.	श्री उपेन्द्र सिंह (पूर्व मुखिया), बारूण, औरंगाबाद।	इनके द्वारा सोन नदी में ज्यादा गहराई तक बालू की खोदाई करने के संबंध में पूछा गया। इस संबंध में पर्यावरणीय सलाहाकार द्वारा बताया गया कि इस परियोजना से संबंधित 03 मीटर तक की गहराई तक का ही खनन का कार्य किया जायेगा। इससे ज्यादा कोई करता है, तो इसकी देख–रेख हेतु जिला खनन विकास पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर जॉच करने का आदेश अपर समाहर्ता द्वारा दिया गया है। इस प्रकार अपना जवाब प्रस्तृत कर संतुष्ट किया।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के कम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें। बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

जन–सुनवाई के अतं में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीध्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्, गया

अपर समाहर्त्ता
औरंगाबाद

उपस्थिति सूची

मेसर्स गौतम फिलिंग सेंटर, प्रो० श्रीमति बबीता सिन्हा, पिताः श्री कृष्ण प्रसाद, ग्राम–खेमदा, पो0+थाना–बारूण, जिला–औरंगाबाद द्वारा सोन घाट 21, सोन नदी, गोठौली, ब्लॉक–बारूण, जिला–औरंगाबाद में प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांकः 11.05.2023 को 2:00 बजे अपराह्न में प्रखड सभागार बारूण, जिला–औरंगाबाद में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र0सं0	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Ashish Kr Singh	ADM Aurangabad	[signature] 11.5.23
2.	Manoranjan Kr Singh	Regional Officer B.S.P.C. Board, Gaya	[signature] 11.5.23
3.	Vikalp Mishra	Rian Enviro Pvt Ltd Sri Nagar	[signature]
4.	Munna Sharma	Rian Enviro Pvt Ltd. Patna	[signature]
5.	[illegible]	Sloshan [illegible] Barun [illegible]	[signature]
6.	हरेन्द्र सिंह	बारुण	हरेन्द्र सिंह
7.	दीपक कुमार	ग्राम - बजाही, 9693089084	दीपक कुमार
8.	रंजय कुमार	ग्राम - बजाही 7541931881	रंजय
9.	सरोज कुमार	ग्राम बजाही 9508102478	सरोज कुमार

10.	सैनेश्वर सिंह	बगाही 7739319	8873
11.	रविन्द्र सिंह	बगाही 9608122060	रविन्द्र सिंह
12.	सुनील सिंह	बगाही 9122099934	सुनील सिंह
13.	पप्पु सिंह	बगाही 6204576346	[illegible]
14.	अजय कुमार	करोपुर पंचायत प्रतिनिधि	[illegible]
15.	लक्ष्मी नारायण चौधरी	बगहा	लक्ष्मी नारायण चौधरी
16.	धारमेन्द्र चौ०	जोगोली	धारमेन्द्र चौ०
17.	मुनेश्वर कुमार	बगाही	मुनेश्वर कुमार
18.	संजय कुमार	बगाही	संजय कुमार
19.	हीरामणी सिंह	बगाही	हीरामणी सिंह 9102356605
20.	छोटेलाल कु०	रमपुर	छोटेलाल

21.	सत्येन्द्र कुमार	बाढ़ 9771284847	सत्येन्द्र कुमार
22.	पिन्टु	बाढ़ 9525214324	पिन्टु
23.	रविकान्त सिंह	बगाही	रविकान्त सिंह
24.	संजय सिंह	बगाही	संजय सिंह
25.	राजु कुमार	बारुण	राजु कुमार
26.	शुभनाम सिंह	बगाही	शुभनाम सिंह
27.	आनन्द कु० चौधरी	गोठौली	Anand K. Chaudhary
28.	बिर प्रताप सिंह	रसोन नगार 7870315311	बिर प्रताप सिंह
29.	पारस कुमार	गोठौली	पारस कुमार
30.	मनजीत कुमार	गोठौली	manjeet
31.	संजय कुमार	डेहरी ओनासोन 9608887621	संजय कुमार

32.	शक्की सिंह	डेहरी ओन सोन	शक्की सिंह
33.	दीपक पाण्डेय	डिहरी ओन सोन 9835210335	दीपक पाण्डेय
34.	सुधीर चौधरी	गोठौली	सुधीर चौधरी
35.	दिलीप कुमार	गोठौली	Dileep kumar
36.	दीपक कुमार	गोठौली 9631161318	दीपक कुमार
37.	राम बलवसिंह	धरगांही	राम बली सिंह
38.	सुधीर कुमार	डेहरी 6207490691	Sudhir kum
39.	सतेन्द्र सिंह	बगाही	सतेन्द्र सिंह
40.	प्रमोद सिंह	बगाही	प्रमोद सिंह
41.	राजु चौ०	गोठौली	राजु चौ०
42.	श्याम बिहारी	गठौली	श्याम बिहारी

43.	रंजन कुमार	पता ग्राम- बारसला जिला - बारसला	रंजन कुमार
44.	Santosh	[illegible]	Santosh
45.	Sanni Kumar Singh	बारसला	
46.	अखिलेश	बारुण	अखिलेश
47.	शैलेन्द्र कुमार	बारुण	शैलेन्द्र कुमार
48.	रवि कुमार	बारुण	रवि कुमार
49.	लोकेश कुमार	बारुण	लोकेश कुमार
50.	नितिन कुमार	बारुण	नितिन कुमार